

### Form No. III

### फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

रमेश

बनाम

भूमिधारी लक्ष्मीलाल १५५

किस्म मुकदमा

वाद पत्र

नं०

100

सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुए
<p>20<sup>05</sup> 2026</p>	<p>ओर दिमा जालर आदेशित किया जाता है कि आगामी पेशी दिनांक के आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करें अन्यथा साक्ष्य बंद समझी जावे। पत्रावली कोन्ते बमन गवाह (साक्ष्य दिनांक 20/05/2026 के पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अदम पक्षकारान परीकार सखार उपस्थित। वकील वादी व वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद सुचना वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से बाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में आदि किया जाता है। पत्रावली केसल बुमाए होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दर्ज हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	